

राजस्व अपील संख्या 247 / 2023


अनवान

श्रीमती घमूदेवी बनाम राजस्थान सरकार

दिनांक 07.07.2023

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालेसर जिला जोधपुर के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 84/2021 अनवान तहसीलदार बालेसर बनाम समस्त ग्राम विष्णुनगर में पारित निर्णय दिनांक 09.12.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से अपीलांत अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.12.2021 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांत अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया।

समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांत की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए तहसीलदार, बालेसर को निर्देशित किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मौका जाँच कर प्रकरण का निस्तारण करें। पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।


अति. संभागीय आयुक्त,
जोधपुर